

## डिक्री बमुकदमें ईक्तादाई

(अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 256/2025

रामनिवास पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ  
राज0.. -वादी

### बनाम्

1. रामलाल पुत्र चुनीराम जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.
2. पूनम पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. दया पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. ममता पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. पिन्की पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. धर्मो देवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी दीनगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ तहसीलदार राजस्व संगरिया -प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते रामलाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानिया वकील वादी भिन जामिन मुदई श्री जितेन्द्र शर्मा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिन जानिय मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है वादी को चक 1 ए.एम.पी (बी) ज.स. 2070-2073 खाता स 149/126 मे 1.777 है भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 का इतना हिस्सा कम किया जाता है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि वैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुक्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक  अदा करें।

वसव्वा मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

